

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/सेवानिवृत्ति/जोन-भरतपुर/एस-468/2025/

दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित तालिका में अंकित नर्सिंग कार्मिकाओं जिनकी 60 वर्षीय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण हो रही है, को इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्रस	कर्मचारी का नाम/पदनाम	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	उर्मिला देवी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	धौलपुर	09.02.1966	28.02.2026
2.	तुलसी देवी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	भरतपुर	05.03.1966	31.03.2026
3.	शहनाज परवीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	धौलपुर	05.06.1966	30.06.2026
4.	श्रेसी अम्मा चाको महिला स्वास्थ्य दर्शिका	डीग	11.05.1966	31.05.2026
5.	रामकेश मीना नर्सिंग ऑफिसर	करौली	15.01.1966	31.01.2026

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/सेवानिवृत्ति/जोन-भरतपुर/एस-468/2025/12
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 08-01-2026

1. निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-भरतपुर।
3. संबंधित नियंत्रण अधिकारी।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :07-01-2026 06:26:31

RajKaj Ref No.:
19617529
eSign DSC